संख्या-494/2025/03 के-2/22-3-2025-17(43)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र ,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामऔतार पुत्र श्री धनीराम, निवासी जनपद-कानपुर देहात की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-555/प्रो0अनु0(2)-283/2024(बैठक दिनांक 31.12.2024) दिनांक-03.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामऔतार (बंदी सं0-27758) पुत्र श्री धनीराम, जो-ग्राम मकनियापुर, थाना-मंगलपुर, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है। दिनांक 15.06.2009 को जमीन बंटवारे की रंजिश के कारण बंदी ने धारदार कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से चोट पहुंचाकर रामप्रसाद, राजकुमार व उसकी पत्नी ममता नामक 03 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-369/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, रमाबाई नगर के आदेश दिनांक **31.05.2013** द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु दिनांक 22.12.2024 तक 61 वर्ष, 04 माह, 24 दिन है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में उल्लेख किया गया है कि (1)- बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2)-बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना है। (3)- बंदी पुन: अपराध करने में सशक्त है। (4)- बंदी को पुन: अपराध करने से रोकने हेतु जेल में रहना उचित है। (5)- बंदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। तद्नुसार बंदी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 15.06.2009 को जमीन के बंटवारे की रंजिश के कारण बंदी ने धारदार कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से चोट पंहुचाकर रामप्रसाद, राजकुमार व उसकी पत्नी ममता नामक 03 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी। मा0 उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामऔतार पुत्र श्री धनीराम को उ0प्र0जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामऔतार (बंदी सं0-27758) पुत्र श्री धनीराम, निवासी जनपद-कानपुर देहात की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।